

1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा... 136... R.T.I का दावा श्री. (श्री) रत्निराम द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोट ✓
3. सेवा ✓
4. दरमाज ✓
5. फाइल नंबर अदालतकार्य

श्रीमान उपर्युक्त अधिकारी महोदय शाहवा निवासी
 11-1-21

वकील
 11-2-22 को पेश की

11-2-21 आज पत्रावली प्रशासन गांधी डे संग्रहालय में शाहवा मुख्यालय पर पेश हुई निर्णय नहीं दी सका किांक 14-2-22 को पेश की

14-2-22 वकील तादी उपर/तबली लखन किांक - 29-3-22 अं पेश हो।

29-3-22 वकील तादी उपर/इतवार तबली लखन किांक 9-5-22 को पेश की

9-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में बाहर हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपदा के अति उप. आयुक्त दिनांक... 14-5-22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

हिमाञ्चु सरकार

14/11/22

पत्रावली केबे की वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न पत्रवारी हक्काखत हसीनदार रिपोर्ट तथा साक्षिक व हाल राजस्व रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यासंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि आसानी ख० न० 148 रुकवा

0.0300 हे० व 0.00 रुकवा 0.600 हे० वर्तमान जमावती में जो वन्शी सत्यपाल श० रामलाल हिस्सा 112 कायमल बागिन व हनीली वहील किशनगढ़ बास में सत्यपाल श० रामलाल को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार ही राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद को निर्णय की गति साक्ष्य वहील किशनगढ़ बास को निवर्तित नै। प्रार्थना पत्र जैसल सुमार ही ज दारिप ह लेख्य भण्डार है।

14/11/22